संख्या–2382/24–1–2010–3994/पी–1/2004

प्रेषक,

मो0 शारूफ,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांकः 12 अगस्त, 2010**

विषयः– वर्ष 2010–11 में भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र सं0–452/मुमप्र (ले. एवं सं.)/वि.प्र.–।।, दिनांक 27.07.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल भारत सरकार की त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से किये गये त्रिपक्षीय समझौते के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने के लिए उ0प्र0 राज्य विद्युत निगम लि0 में अंशपूंजी विनियोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू. 3,00,00,00,000/–(रूपये तीन सौ करोड़ मात्र) में से रू0 1,48,85,550/– (रूपये एक करोड़ अड़तालीस लाख पचासी हजार पॉच सौ पचास मात्र) की धनराशि शासनादेश दिनांक 24.06.2010 द्वारा अवमुक्त की गयी थी। अब अवशेष धनराशि में से रू0 26,07,26,080/– (रूपये छब्बीस करोड़ सात लाख छब्बीस हजार अस्सी मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा इस स्वीकृत धनराशि का आहरण नगद न करके पुस्तक समायोजन द्वारा किया जायेगा।

3– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खंड–5 भाग–1 के प्रपत्र संख्या–42जी/शुद्ध पत्र संख्या–426 दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर विशेष सचिव/सचिव अथवा प्रमुख सचिव के प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर व्यय की धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहां से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5– इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

6– इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 26,07,26,080/– (रूपये छब्बीस करोड़ सात लाख छब्बीस हजार अस्सी मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4801–बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–06–ग्रामीण विद्युतीकरण–190–सार्वजनिक

क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश–03–त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम) हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में अंशपूँजी विनियोजन (के0–100)–30–निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त रू0 26,07,26,080/– (रूपये छब्बीस करोड़ सात लाख छब्बीस हजार अस्सी मात्र) में से रू0 23,46,53,479/–(रूपये तेइस करोड़ छियालीस लाख तिरपन हजार चार सौ उन्यासी मात्र) लेखाशीर्षक "0801–बिजली–06–ग्रामीण विद्युतीकरण–800–अन्य प्राप्तियां–01–ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्तियॉ" तथा रूपये 2,60,72,601/– (रूपये दो करोड़ साठ लाख बहत्तर हजार छः सौ एक मात्र) लेखाशीर्षक "6003–राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण–109–अन्य संस्थाओं से कर्ज–09–ऊर्जा विभाग–0901–ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से कर्ज" के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–ई–10–165/दस–2010, दिनांक 05 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मो0 मारूफ)
अनु सचिव।

संख्या–2382(1)/24–1–2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद–211001
2– सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3– ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली।
4– मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–10/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–4
6– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)
अनु सचिव।